न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 55/2016/(2016/00064) जिला–नागौर

श्री हेमराज पुत्र श्री नुन्दाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल राम पुत्र गणेशाराम
2. गणेशाराम पुत्र नुन्दाराम
3. भागुराम पुत्र नुन्दाराम
4. रतनलाल पुत्र नुन्दाराम
   समस्त जाति जाट, निवासीगण राणासर तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।
5. गोदावरी पुत्री नुन्दाराम पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी भिचावा तहसील मकराना जिला नागौर।
6. सुखी देवी पुत्री नुन्दाराम पत्नी दुर्गाराम जाति जाट निवासी भिचावा तहसील मकराना जिला नागौर।
7. कमला देवी पुत्री नुन्दाराम पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी चारणवास तहसील परबतसर जिला नागौर।
8. संतोष देवी पुत्री नुन्दाराम पत्नी मनोहर लाल जाति जाट निवासी बावड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।
9. ग्राम पंचायत आनन्दपुरा जरिये सरपंच पंचायत समिति कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
10. पदेन सचिव ग्राम पंचायत आनन्दपुरा पंचायत समिति कुचामनसिटी जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी दिनांक 21–03–2016
अन्तर्गत अपील संख्या 04/2015 बउनवान गोपाल राम बनाम
ग्राम पंचायत वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री गिरीश पारीक अभिभाषकगण अपीलार्थी
2. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः— 16—5—2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत आनन्दपुरा पंचायत समिति कुचामनसिटी द्वारा नुन्दाराम पुत्र दूलाराम की मृत्यु उपरान्त विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 20—8—2015 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—3—2016 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 29—8—2015 को अपास्त कर तहसीलदार कुचामनसिटी को पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि ग्राम राणासर पटवार हलका आनन्दपुरा में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 211 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 212 रकबा 1.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 1.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 2.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 673 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 677 रकबा 1.400 हैक्टर, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 679 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 693 रकबा 2.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 694 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नम्बर 697 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 830/211 रकबा 0.3300 हैक्टर कुल खसरा संख्या 17 कुल रकबा 13.9200 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उपरोक्त कृषि भूमि कुल रकबा 13.92 हैक्टर में नुन्दाराम का कुल 19/60 वां हिस्सा था। उक्त भूमि में नुन्दाराम का 10/60 वां हिस्सा पैतृक सम्पत्ति के रूप में आ रहा था तथा 9/60 वां हिस्सा उसके द्वारा खरीदशुदा थी जो उसने तत्कालीन विक्रेतागण रामचन्द्र पुत्र श्री तेज सिंह, भगवान सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, पोकर पुत्र श्री पेमाराम निवासीयान रसाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 28—12—1998 स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज हो गया था। इस प्रकार नुन्दाराम के कुल 19/60 हिस्से में 10/60 हिस्सा उसकी पैतृक सम्पत्ति थी जो उसे विरासत में मिली थी तथा 9/60 हिस्सा भूमि उसकी खरीदशुदा भूमि थी। उक्त कुल खसरा संख्या 17 रकबा 13.92 हैक्टर में

स्व0 नुन्दाराम द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि 19/60 में से स्वयं द्वारा क्रय की गई 9/60 भूमि की एक वसीयत दिनांक 2–1–2015 को दो साक्षियों के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में लिखकर नोटेरी पब्लिक के समक्ष तस्दीक करवाकर उसी समय वसीयत को प्रमाणीकरण कर दिया गया था। इस प्रकार नुन्दाराम की मृत्यु पश्चात वसीयती हिस्सा 9/60 में प्रत्यर्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 24–3–2015 को हलका पटवारी को एक प्रार्थना पत्र स्व0 नुन्दाराम के स्थान पर ग्राम राणासर में स्थित उपरोक्त कृषि भूमि कुल खसरा संख्या 17 कुल रकबा 13.92 हैक्टर में नुन्दाराम की पैतृक हिस्से की भूमि 10/60 हिस्सा तथा स्व0 नुन्दाराम के द्वारा खरीद की गई 9/60 भूमि जो वसीयत द्वारा उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई है, का नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा दिनांक 24–3–2015 को मूल प्रार्थना पत्र पर ही पटवारी हलका आनन्दपुरा को संलग्न दस्तावेजात की जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया। पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोलकर तहसीलदार कुचामनसिटी से मार्गदर्शन हेतु दिनांक 25–3–2015 को प्रेषित किया जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–3–2015 को पुनः पटवारी हलका को आदेश दिये कि जांच कर रिपोर्ट पेश करे केवल दस्तावेजों की रिपोर्ट का अंकन नहीं करे। इसके पश्चात भी पटवारी हलका द्वारा वसीयत व उत्तराधिकार के नामान्तरकरण को नहीं खोला गया। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 22–5–2015 को ग्राम पंचायत आनन्दपुरा को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि स्व0 नुन्दाराम के हक हिस्से की 10/60 भूमि का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम खोला जावे तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 गोपालराम के नाम 9/60 हिस्से की भूमि का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा दिनांक 10–8–2015 को मृतक नुन्दाराम के वारिसों के ही नाम नामान्तरकरण खोला गया जबकि वसीयती हिस्से की भूमि का प्रत्यर्थी के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष अपील की जिसे उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 20–8–2015 को विवादित मानते हुए निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कुचामनसिटी को पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित कर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2070 से 73 में कुल खसरा संख्या 17 कुल रकबा 13.09200 हैक्टर जो कि अपीलार्थी के पिता एवं अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी में चली आ रही थी जिसमें नुन्दाराम का 19/60 वां हिस्सा दर्ज होना साफ अंकित था उक्त आराजी में नुन्दाराम की पैतृक भूमि कितनी है एवं स्वअर्जित भूमि कितनी है यह कहीं भी अंकित नहीं है।

नुन्दाराम का सम्पूर्ण संयुक्त आराजी में 19/60 हिस्सा दर्ज होना अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी अपील में यह तथ्य अंकित किया है कि नुन्दाराम का 10/60 हिस्सा पैतृक है और 9/60 हिस्सा स्वअर्जित भूमि का है इस प्रकार कुल 19/60 हिस्सा नुन्दाराम का संयुक्त आराजी में है परन्तु प्रत्यर्थी गोपालराम अपनी अपील में यह तथ्य बताने में असमर्थ रहा है। स्व0 नुन्दाराम के नाम सम्पूर्ण भूमि में से कौन सी भूमि स्वअर्जित है एवं कौनसी भूमि पैतृक है इस तथ्य की जानकारी स्वयं वसीयतकर्ता नुन्दाराम को भी नहीं थी क्योंकि वह 90 वर्ष की आयु का था और बीमार चल रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नुन्दाराम द्वारा अपने पक्ष में वसीयत दिनांक 2–1–2015 को होना बताया और नुन्दाराम की मृत्यु दिनांक 2–3–2015 को होना बताया यानि नुन्दाराम की मृत्यु वसीयत करने के दो महिने के बाद ही हो गई इससे यह सिद्ध होता है कि नुन्दाराम काफी समय से बीमार चल रहा था तथा चलने फिरने में असमर्थ था।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के समक्ष यह तथ्य सामने आ चुका था कि नुन्दाराम के 19/60 हिस्से की भूमि बाबत एक राजस्व वाद संख्या 42/2015 बउनवान गोदावरी बनाम मांगूराम विचाराधीन है जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ तो उनके समक्ष लम्बित नामान्तरकरण की अपील सुनवाई को रोक देना चाहिए था क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग होती है जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकार तय नहीं किये जाते। पक्षकारों के हक व अधिकार केवल राजस्व वाद द्वारा ही तय किये जा सकते है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में यह प्रावधान दिया गया है कि जहां वाद विचाराधीन हो वहां समरी प्रोसिडिंग को रोक देना चाहिए। सरपंच ग्राम पंचायत एवं पटवारी हलका द्वारा स्व0 नुन्दाराम के विधिक वारिसानों की जांच पड़ताल कर उनके सजरे अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–2016 को निरसत कर नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 20–8–2015 को बहाल रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि विवादित आराजियात खसरा संख्या 17 कुल रकबा 13.92 हैक्टर में से स्व0 नुन्दाराम द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि 19/60 में से स्वयं द्वारा क्रय की गई 9/60 भूमि की एक वसीयत दिनांक 2–1–2015 को दो साक्षियों के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 गोपाल राम पुत्र गणेशाराम के पक्ष में लिखकर नोटेरी पब्लिक के समक्ष तस्दीक करवाकर उसी समय वसीयत को प्रमाणीकरण कर दिया गया था। इस प्रकार नुन्दाराम की मृत्यु पश्चात वसीयती हिस्सा 9/60 में प्रत्यर्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। प्रत्यर्थी संख्या–1 गोपाल राम द्वारा दिनांक 24–3–2015 को हलका

पटवारी को एक प्रार्थना पत्र स्व0 नुन्दाराम के स्थान पर ग्राम राणासर में स्थित उपरोक्त कृषि भूमि कुल खसरा संख्या 17 कुल रकबा 13.92 हैक्टर में नुन्दाराम की पैतृक हिस्से की भूमि 10/60 हिस्सा तथा स्व0 नुन्दाराम के द्वारा खरीद की गई 9/60 भूमि जो वसीयत द्वारा उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई है, का नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर सम्पूर्ण भूमि का स्व0 नुन्दाराम की मृत्यु पश्चात विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 20–8–2015 अपीलार्थी के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–3–2016 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 932 दिनांक 20–8–2015 को अपास्त कर तहसीलदार कुचामनसिटी को पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया, जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम राणासर पटवार हलका आनन्दपुरा में स्थित कृषि भूमि कुल खसरा संख्या 17 कुल रकबा 13.9200 हैक्टर के मूल खातेदार नुन्दाराम थे। उक्त कुल रकबे में से नुन्दाराम का कुल 19/60 वां हिस्सा था जिसमें से 10/60वां हिस्सा पैतृक सम्पत्ति के रूप में था तथा 9/60 वां हिस्सा नुन्दाराम की स्वअर्जित आराजियात थी जिसे उन्होंने रामचन्द्र पुत्र तेज सिंह, भगवान सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, पोकर पुत्र पेमाराम निवासी रसाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 28–12–1998 स्वीकृत किया गया जिसका जमाबंदी में इन्द्राज किया हुआ है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ष को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययन कर सकता है।

नुन्दाराम ने अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री गोपाल राम पुत्र गणेशाराम के पक्ष में 9/60 भूमि की एक वसीयत दिनांक 2–1–2015 को दो साक्षियों के समक्ष लिखकर नोटेरी पब्लिक के समक्ष तस्दीक करवाकर उसी समय

वसीयत का प्रमाणीकरण कर दिया गया था। इस प्रकार नुन्दाराम की मृत्यु पश्चात वसीयती हिस्सा 9/60 में प्रत्यर्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे।

वसीयतकर्ता स्व0 नुन्दाराम की मृत्यु दिनांक 02–3–2015 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। उक्त वसीयत दिनांक 2–1–2015 को तस्दीक करवाई गई है जिससे यह तथ्य स्पष्ट होते है कि वसीयत 9/60 हिस्से की हुई है। यह भी निर्विवाद तथ्य है कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है तथा नामान्तरकरण कार्यवाही से कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं होते तथा स्वामित्व स्थापित करने के लिए पक्षकारों को सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद दायर कर लाभ प्राप्त करना चाहिये तथा यह भी उचित है कि यदि वसीयत सन्देहास्पद एवं फर्जी है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने हेतु चाराजोई की जानी अपेक्षित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–2016 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है लिहाजा अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–3–2016 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 04/2015 बउनवानी गोपाल राम बनाम ग्राम पंचायत व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–5–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर